an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीयअध्यक्ष :अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

श्री गिरिराज सिंह

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंवर्ष 2020-2021 के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की निर्गत परिणामी रूपरेखाकीएकप्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभापटल पर रखता हूं । …(व्यवधान)

(Placed in Library, See No LT 2128/17/20)

माननीय अध्यक्ष: आप कुछ अनुशासन भी सीख लीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये सभी मैम्बर्स हैं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इन्हें समझाइए । आप जैसे लोगों ने सदन चलाने की परम्पराएं बनाई हैं तो इन्हें बनी रहने दीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हम कहां जाएंगे । हम कुछ नहीं करते हैं । …(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :अध्यक्ष महोदय, मैंनिम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण कीसरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिकप्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No LT 2129/17/20)

(ख) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षाके बारेमें विवरण ।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथाउन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) के मद (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No LT

2130/17/20)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दानवे राव साहेब दादाराव) :अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 4616(अ) जो 26 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No LT 2131/17/20)

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक काडर की भर्ती) विनियम, 2019, जो 23 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. बीएस/11/07/2019 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No LT 2132/17/20)

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंधनिराकरण (तीसरा संशोधन) आदेश, 2019, जो 28 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4298(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध निराकरण (चौथा संशोधन) आदेश, 2019, जो 3 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4341(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंधनिराकरण (पांचवां संशोधन) आदेश, 2019, जो 10 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4417(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंधनिराकरण (छठा संशोधन) आदेश, 2019, जो 16 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4471(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(Placed in Library, See No LT 2133/17/20)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Notification No. S.O.1394(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 3rd May, 2017 regarding delegation of powers and functions of the appropriate Government to Administrator/Lieutenant Governor of the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep under sub-section (1) of Section 86 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No LT 2134/17/20)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :श्रीपरषोत्तमरूपालाकीओरसे,मैंनिम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण कीसरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन,लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वालाविवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No LT 2135/17/20)

(3) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षाप्रतिवेदन ।

(तीन) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथाअंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वालाविवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No LT 2136/17/20)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :डॉ. संजीव कुमार बालियान की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के

अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) गोवा मीट कॉम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) गोवा मीट कॉम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No LT 2137/17/20)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) :अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन कीएक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकारद्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वालाविवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No LT 2138/17/20)

(3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा सुरक्षा बल काम्बेटाइज्ड पैरा-मेडिकल स्टाफ भर्ती (संशोधन) नियम, 2019, जो 8जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सा.का.नि. 17(अ) में प्रकाशित हुएथे ।

(दो) सीमा सुरक्षा बल काम्बेटाइज्ड पैरा-मेडिकल स्टाफ भर्ती (संशोधन) नियम, 2019, जो 10 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 25 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(Placed in Library, See No LT 2139/17/20)

(4) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 781 (अ) जो 11 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के प्रयोजन हेतु पंजाब राज्य के डेरा बाबा नानक लैंड चेक पोस्ट को एक प्राधिकृत आप्रवासन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No LT 2140/17/20)

(5) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 (क) की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 782(अ) जो 11 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजन हेतु मुख्य आप्रवासन अधिकारी, बीओआई डेरा बाबा नानक को 11.02.2019 से 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(Placed in Library, See No LT 2141/17/20)

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) :अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No LT 2142/17/20)

-